

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2268 / 2024


दिनांक : 02.07.2024

श्रीमती पूर्णिमा गौड (RJ00420), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को दिनांक 27.05.2024 से 01.06.2024 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.05.2024 से 26.05.2024 एवं 02.06.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती गौड की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4) / 52 / 2002 / 5331

दिनांक : 02.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 46 दिनांक 03.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड (RJ00420), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, राजसमन्द।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।

  
01/07/2024  
सहायक रजिस्ट्रार